<u>न्यायालयः विशेष न्यायाधीश (एन०डी०पी०एस० एक्ट)/</u>

<u>अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-01, एटा।</u>

उपस्थितः मनीषा - 'एच०जे०एस०' **(J.O. CODE UP6137)**

<u>जमानत प्रार्थनापत्र संख्या- 353/2026</u>

विवेक पुत्र कुलफ सिंह निवासी सन्तोषपुर थाना विछवां जिला मैंनपुरी

.....अभियुक्त

बनाम

उ0 प्र0 राज्य

.....विपक्षी

धारा- 8/20/29/60 एन०डी०पी०एस० एक्ट
मु० अपराध संख्या-09/2026,
थाना- मलावन, जिला- एटा।

<u>आदेश</u>

1. आवेदक/अभियुक्त विवेक की ओर से जमानत आवेदन-पत्र मु०अ०सं०-09/2026, अन्तर्गत धारा- 8/20/29/60 एन०डी०पी०एस० एक्ट, थाना- मलावन, जिला एटा प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थना-पत्र के समर्थन में गीता देवी पत्नी कुलफ सिंह शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक एएनटीएफ मुख्यालय लखनऊ महोदय द्वारा अवैध नशे के कारोबार के विरुद्ध अभियान चलाये जाने तथा अवैध नशे की तस्करी पर अंकुश लगाये जाने के आदेश प्राप्त हुए थे। इस क्रम में वादी उ0नि0 राजेन्द्र सिंह द्वारा सूचना संकलन हेतु क्षेत्र में मुखबिर खास मामूर किये गये थे। आज दिनांक 21.01.2026 को मुखबिर खास द्वारा सम्पर्क करने पर वादी मुकदमा उ0नि0 को सूचना दी गयी कि रिजवान व खालिद निवासीगण ग्राम गुहटिया कलां थाना जैथरा जिला एटा दोनों पटना, विहार राज्य से गांजा लेने गये हैं तथा उनके द्वारा ट्रकों के माध्यम से गांजा एनसीआर क्षेत्र में तस्करी के लिये लाया जाता है, जो आज किसी समय ट्रक के माध्यम से गांजा कानपुर से एटा के रास्ते एनसीआर में गांजा ला सकते हैं। यदि रिजवान व खालिद उपरोक्त को वाहन सहित तलाश कर चैक किया जाये तो भारी मात्रा में अवैध गांजा पकड़ में आ जायेगा। इस सूचना से वादी उ0नि0 द्वारा उच्चाधिकारीगण को अवगत कराया गया। श्रीमान पुलिस उपाधीक्षक महोदय, ऑपरेशनल यूनिट मेरठ जोन मेरठ के कार्यालय में उपस्थित होकर सूचना से लिखित रूप से अवगत कराते हुए, कार्यवाही का प्राधिकार पत्र अन्तर्गत धारा 41(2) एन.डी.पी.एस. अधिनियम प्राप्त किया गया तथा उक्त सूचना पर कार्यवाही करने हेतु श्रीमान पुलिस उपाधीक्षक महोदय द्वारा वादी मुकदमा उ0नि0, हे0का0 नसीम अहमद, का० कपिल रावत, का० रोहित की टीम

Digitally signed by MANISHA
Date: 2026.03.06 16:51:32 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

गठित की गयी। वादी मुकदमा उ0नि0 राजेन्द्र सिंह मय हमराह हे0का0 नसीम अहमद, का० कपिल रावत, का० रोहित मय वाहन प्राइवेट के सरकारी किट व अन्य आवश्यक कागजात व उपकरण के साथ ए.एन.टी.एफ. थाना मेरठ से रपट संख्या 05 समय 04.50 बजे, दिनांक 21.01.2026 को रवाना हुआ। वादी मुकदमा उ0नि0 द्वारा मय फोर्स के मेरठ से अलीगढ सडक पर मौजूद आकर मुखबिर खास को साथ लेकर एटा, कानपुर, कन्नौज क्षेत्र में घूम फिरकर सुरागरसी पतारसी की गयी तथा मुखबिर की सूचना के सम्बन्ध में स्थानीय जानकारियां जुटाई गयी। सुरागरसी पतारसी की कार्यवाही के दौरान मुखबिर खास द्वारा अपने स्त्रोतों से जानकारी कर बताया कि रिजवान व खालिद जिस ट्रक से गांजा तस्करी कर मंगवाने वाले हैं उस ट्रक का नम्बर UP84AT4516 है जिसे उनका मैनपुरी निवासी साथी चलाकर लाने वाला है जबकि रिजवान वा खालिद किसी दूसरी गाड़ी से बचते बचाते पटना से एनसीआर में पहुंचकर लाये गये गांजा की डिवीवरी ले सकते हैं। इस सूचना पर वादी मुकदमा उ0नि0 द्वारा मय फोर्स व मुखबिर के ट्रक UP84AT4516 की तलाशी की जाने लगी। समय करीब 20.15 बजे सुरागरसी पतारसी के दौरान उक्त ट्रक कानपुर से अलीगढ़ जाने वाली सडक किनारे, मलावन टोल प्लाजा से करीब 800 मीटर पहले दीपक ढाबा के समाने खड़ा दिखायी दिया, जिसको देखकर मुखबिर खास द्वारा अवगत कराया गया कि यह वही ट्रक है जिससे पटना से गांजा तस्करी कर लाया जा रहा होगा तथा मुखबिर खास गाडी से उतरकर चला गया। जिसपर वादी मुकदमा उ0नि0 द्वारा अधिकारीगण को सूचित किया गया तथा दिशा निर्देश प्राप्त किये गये । इसके पश्चात वादी मुकदमा उ0नि0 द्वारा स्थानीय फोर्स हेतु प्रभारी निरीक्षक महोदय, मलावन को द्वारा दूरभाष अवगत कराया गया जिसपर उनके द्वारा थाना मलावन से पूर्व से क्षेत्र में मामूर SI गौरव चौहान मय हमराही C 686 किशन सिंह, C 1396 राजेश कुमार, मय वाहन सरकारी UP82GO425 मय C 1494 बतौर चालक आकाश बंसल को भेजा गया, जो इलैक्ट्रानिक कांटा के साथ मौके पर उपस्थित आये । इसके पश्चात समस्त पुलिस फोर्स द्वारा एक दूसरे की जामा तलाशी ले देकर इत्मिनान किया कि किसी के पास अपराध से सम्बन्धित कोई शह नहीं है तथा सरकारी व प्राइवेट वाहनो की तलाशी लेकर इत्मिनान किया कि वाहनों में भी कोई अवैध वस्तु नहीं है। इसके पश्चात हम पुलिस वाले उक्त ट्रक के पास पहुंचे, ट्रक में देखा तो एक व्यक्ति ड्राइविंग सीट पर तथा एक व्यक्ति उसके बगल में बैठा पाया गया, पुलिस टीम के ट्रक के पास पहुंचने पर ट्रक सवार दोनों व्यक्ति ट्रक से नीचे उतरे, जिन्हें पुलिस टीम का परिचय दिया गया तथा मुखबिर की सूचना से अवगत कराया गया तथा नाम पता पूछा तो ड्राइविंग सीट पर बैठे पाये गये व्यक्ति द्वारा अपना नाम विवेक उम्र करीब 27 वर्ष पुत्र कुलफ सिंह निवासी ग्राम संतोषपुर थाना बिछवा जनपद मैनपुरी तथा उसके बराबर में बैठे पाये गये व्यक्ति द्वारा अपना नाम पता ओपेन्द्र उम्र करीब 34 वर्ष पुत्र कोतवाल सिंह निवासी ग्राम संतोषपुर थाना बिछवा जनपद मैनपुरी बताया गया। विवेक तथा ओपेन्द्र उपरोक्त को एक एक कर उनके विधिक अधिकार धारा 50 एनडीपीएस एक्ट कि वह अपनी तलाशी निकटतम राजपत्रित अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट के समक्ष लिवा सकते हैं तथा उनको राजपत्रित अधिकारी व मजिस्ट्रेट का मतलब सरल भाषा में समझाया

गया। विवेक तथा ओपेन्द्र उपरोक्त द्वारा अपनी तलाशी राजपत्रित अधिकारी के समक्ष लिवाने के लिए कहा गया जिस पर वादी मुकदमा उ0नि0 द्वारा नोटिस 50 एनडीपीएस एक्ट तैयार किया गया तथा सहमति पत्र प्राप्त किया गया। वादी मुकदमा उ0नि0 द्वारा निकटतम राजपत्रित अधिकारी को अवगत कराने हेतु उ0नि0 गौरव चौहान को कहा गया, जिस पर उनके द्वारा क्षेत्राधिकारी सकीट जनपद एटा को द्वारा दूरभाष अवगत कराया गया । क्षेत्राधिकारी महोदय सकीट श्रीमति कृतिका सिह मय सरकारी वाहन के मौके पर मौजूद आयी। जिनके द्वारा सूचना की जानकारी की गयी व पकड़े गए व्यक्तियों से पूछताछ की गयी। जिसके पश्चात क्षेत्राधिकारी महोदया के समक्ष दोनों व्यक्तियों से गांजा के सम्बन्ध में जानकारी की गयी तो उनके द्वारा ट्रक के केबिन में शीट के नीचे गांजा के बन्डल भरे होना बताया गया, गांजा बरामद कराने हेतु कहा गया तो विवेक द्वारा ट्रक के केबिन का बाया गेट खोलकर सीट के नीचे से एक एक कर पांच बन्डल निकाले गये । सभी पांचो बन्डलों पर लाल रंग की पिन्नी, जिसे प्लास्टिक की सुतली से बांधकर उस पर पारदर्शी टेप लगी पायी गयी । जिनका इलैक्ट्रानिक कांटा से वजन किया गया तो पहले बन्डल का वजन 15 किलो 820 ग्राम पाया गया, जिसे A1 से मार्क किया गया। दूसरे बन्डल का वजन 15 किलो 620 ग्राम पाया गया जिसे A2 से मार्क किया गया। तीसरे बन्डल का वजन 15 किलो 420 ग्राम पाया गया जिसे A3 से मार्क किया गया। चौथे बन्डल का वजन 15 किलो 320 ग्राम पाया गया जिसे A4 से मार्क किया गया। पांचवे बन्डल का वजन 15 किलो 220 ग्राम पाया गया जिसे A5 से मार्क किया गया। सभी पांचो बन्डलों का कुल वजन 77 किलो 400 ग्राम मय पैकिंग पिन्नी पाया गया। सभी बन्डलों पर एक एक कर कट लगाकर देखा गया तो प्रत्येक बन्डल में एक समान भूरे रंग का गुच्छेनुमा पदार्थ भरा पाया गया जोकि देखने व सूंघने से गांजा होना प्रतीत हो होता है। प्रत्येक बन्डल के पदार्थ को उसी प्रकार वापस रखकर, बन्डल में कट लगे स्थानों पर टेप लगायी गयी । दोनों व्यक्तियों की एक एक कर तलाशी ली गयी तो विवेक उपरोक्त की जामा तलाशी से एक अदद मोबाइल फोन वीवो वाई 29 पाया गया जिसके आईएमईआई चैक किये गये तो 868664082733548 व 868664082733555 पाये गये तथा मोबाइल नम्बर 95487XXXXX व 93199XXXXX पाये गये तथा एक अदद आधार कार्ड पाया गया जिसपर विवेक उपरोक्त का नाम व पता तथा आधार नम्बर 5649926XXXXX अकित पाया गया तथा छः अदद नोट 100 रुपये कुल 600 रुपये नगदी पायी गयी । ओपेन्द्र उपरोक्त की जामा तलाशी से एक अदद कीपैड मोबाइल फोन लावा कम्पनी पाया गया, जिसके आईएमईआई नम्बर चैक किये गये तो 350728649144849 व 350728649144856 पाये गये तथा मोबाइल नम्बर 98999XXXXX पाया गया तथा एक अदद वालेट पाया गया जिसमें एक अदद आधार कार्ड जिसपर ओपेन्द्र का नाम पता तथा आधार नम्बर 767017770536O अकित पाया गया तथा एक अदद श्रम कार्ड सम्बन्धित ओपेन्द्र जिसपर नम्बर 7903306XXXXX अंकित पाया गया तथा तीन अदद ड्राइविंग लाइसेन्स सम्बन्धित ओपेन्द्र जिनपर नम्बर UP8420100007733 अंकित पाया गया तथा कुछ विजीटिंग कार्ड पाये गये तथा तीन अदद नोट 100 रुपये, दो अदद नोट 50 रुपये, चार अदद

नोट 20 रुपये, तीन अदद नोट 10 रुपये, दो अदद सिक्केत 02 रुपये व तीन अदद सिक्के 01 रुपये कुल 517 रूपये नगदी पायी गयी। ट्रक से बरामद सभी बन्डलों में पाये गये पदार्थ को साथ लायी इग डिटेक्शन किट से निर्देशानुसार रसायन मिलाकर चैक किया गया तो रंग परिवर्तन के आधार पर प्रथम दृष्टया गांजा होना पाया गया। सभी बन्डलों को उनमें पाये गये पदार्थ सहित साथ लाये प्लास्टिक के कट्टों में रखकर सील सर्वे मोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया। विवेक व ओपेन्द्र उपरोक्त की जामा तलाशी को अलग अलग सफेद पारदर्शी डिब्बों में रखकर चिटबन्दी की गयी। विवेक कुमार उपरोक्त से गांजा के बारे में पूछा गया तो उसके द्वारा बताया गया कि वह करीब 5, 6 साल से ट्रकों पर ड्राइवरी कर रहा है। उसके गांव का रहने वाले एक ड्राइवर ने उसकी मुलाकात गुहटिया खुर्द कलां थाना जैथरा जिला एटा के रहने वाले खालिद से करायी थी, वह उसके लिये गांजा लेकर आता था। उसके गांव के ड्राइवर की करीब 02 साल पहले मौत हो गयी थी। खालिद अब दिल्ली में रहता है और किराये की गाडी चलाता है । खालिद के लिये वह डेढ सालों से गांजा लेकर आ रहा है। वह गाडी पर जाता है, उडीसा या बिहार से खालिद के लिये गांजा ट्रक में छुपाकर ले आता है। लादा गया गांजा खालिद के कहने पर उसकी बतायी जगह पर डिलीवर करता है। पिछले 6-7 महीने से खालिद के पार्टनर रिजवान जोकि गुहटिया खुर्द कलां का ही रहने वाला है और अब लोनी, गाजियाबाद में रहता है, के लिये भी गाजा लेकर आता है। प्रत्येक चक्कर में गांजा लाने खालिद और रिजवान उसे पचास हजार रूपये देते हैं जोकि कुछ कैश में और कुछ अकाउण्ट में दिया जाते हैं। वह अम्बाला से कैमिकल लैब का समान लेकर बैंगलूरु गया था जहां से एसी लेकर कलकता गया था। कलकता जाकर खालिद से व्हाट्सऐप काल पर बात की थी और कलकत्ता से पटना का कपडे का माल मिलने की बात बतायी थी। वह 19 जनवरी को पटना पहुंचा था और पटना माल उतारा था । उसी दिन खालिद और रिजवान भी कार से पटना पहुंच गये थे। खालिद और रिजवान ने पटना में किसी से गांजा खरीदा था, किससे खरीदा वह उसके बारे में नहीं जानता है। खालिद और रिजवान ने गांजा लाकर उसकी गाडी में हाजीपुर, पटना में डाला था, वह दोनों लोग खालिद की कार मारुती दूर-एस से गांजा लेकर आये थे । गाजा को खुर्जा में डिलीवर करने की बात खालिद ने कही थी, इस गांजा को खुर्जा, बुलन्दशहर लेकर पहुंचता और गांजा पहुंचाने के पचास हजार रूपये खालिद और रिजवान से लेता । वह वहां पर रुका था क्योंकि गाडी में फास्टैग और तेल बहुत कम बचा था और उसके पास इतने पैसे नहीं थे, खालिद पैसे डालता तभी गाडी लेकर खुर्जा पहुंचाता कि उसे पकड लिया। विवेक उपरोक्त द्वारा अपना मोबाइल फोन देखकर खालिद के मोबाइल नम्बर 99710XXXXX, 96430XXXXX, 82878XXXXX तथा रिजवान का मोबाइल नम्बर 99108XXXXX बताया गया तथा खालिद की गाडी जिसके द्वारा गांजा लाकर ट्रक में रखा गया था उसका नम्बर DL-IZD7588 बताया गया। उसके चाचा अवध किशोर का बैंक अकाउण्ट को उसने मोबाईल नम्बर 95487XXXXX से लिंक कराया हुआ है, जिससे वह लेनदेन करता है। वाहन के सम्बन्ध में पूछा गया तो बताया कि ट्रक मालिक विनीत पाण्डेय को छिबरामऊ का माल मिलने की बात बतायी थी लेकिन बिना माल लिये ही वह वापस

आ जाता और मालिक को भाडा लाने में कोई मुनाफा न होने के बात बता देता। ओपेन्द्र उसके गांव का ही रहने वाला है यह इसी गाडी पर ओपेन्द्र और वह ड्राइविंग करते हुए बैंगलूरु. फिर कलकता, फिर पटना और अब यहां पहुंचे हैं। पटना से गांजा लेकर डिलीवर करने के लिये पांच हजार रूपये देने की बात कही थी। पटना से गाडी लेकर वह और ओपेन्द्र ड्राइविंग करते आ रहे थे। ओपेन्द्र उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि वह करीब 15, 16 साल से ट्रक पर ड्राइविंग करता है और विवेक को बचपन से जानता है। विवेक ने गाडी पर चलने की बात की थी तो वह तैयार हो गया था, पटना पहुंचकर विवेक ने गांजा लाने के लिये उसे पांच हजार रूपये देने के लिये कहा था, इसलिये वह विवेक के साथ गांजा लेकर आया है। वह गांजा मालिको को नहीं जानता है। उन्हें विवेक ही जानता है। विवेक व ओपेन्द्र उपरोक्त को उनके जुर्म के आधारों से लिखित रूप से अवगत कराते हुए अन्तर्गत धारा 8/20/29 एन.डी.पी.एस. एक्ट से अवगत कराते हुए समय करीब 23.20 बजे दिनांक 21.01.2026 को हिरासत पुलिस में लिया गया। ट्रक UP84AT4516 का प्रयोग अवैध मादक पदार्थ गाजा के परिवहन में किए जाने के कारण धारा 60 एनडीपीएस अधिनियम में कब्जा पुलिस लिया गया। गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्त के परिजन को जरिये उचित माध्यम थाना जाकर दी जायेगी । बरामदगी व गिरफ्तारी के दौरान कार्यवाही की वीडियो ग्राफी मुझ उ0नि० की आई.डी. से ई साक्ष्य मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से हमराहीगण से निर्देशानुसार करायी गयी, जिसका एसआईडी नम्बर 2151172169604786 जनरेट हुआ । गिरफ्तारी के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेशों निर्देशों का पूर्णतः पालन किया गया। बरामदगी की कार्यवाही के दौरान आने जाने वाले लोगों से गवाही हेतु कहा गया तो अपनी जायज परेशानिया बताते हुए बिना नाम पता बताये चले गये। बरामदा माल मुकदमाती से माल परीक्षण हेतु नमूना धारा 52 क एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अनुपालन में माननीय न्यायालय के समक्ष विवेचक द्वारा लिवाया जायेगा। फर्द मौके पर मुझ उ0नि0 द्वारा स्वयं के लैपटाप पर गाडियों व मोबाइल फोन की पर्याप्त रोशनी में टाइप की गयी। फर्द की साफ्टकापी पैन ड्राइव में कर प्रतियां निकलवाने हेतु उ0नि0 गौरव चौहान को मय वाहन सरकारी मय चालक का० रोहित के भेजा जा रहा है। उ0नि0 गौरव चौहान मय वाहन सरकारी मय चालक का० रोहित के फर्द की तीन प्रतिया लेकर वापस आये । फर्द को टाइपशुदा लैपटाप की फर्द से मिलान किया तो हूबहू मेला खाती है। फर्द पढ़कर सुनाकर गवाही गवाहन करायी जाती है।

3. अभियुक्त की ओर से अभियोजन कथानक का वर्णन करते हुए कथन किया कि वह निर्दोष हैं। उन्हें झूंठा फसाया गया है। प्र थम सूचना रिपोर्टके अनुसार घटना दिनांक 21-01-2026 को समय करीब 4-50 बजे की है, लेकिन एफ०आइ०आर में 22.01.2026 समय करीब 3:14 बजे एफ०आई०आर० नेम्ड अकित हुई, देरी से लिखे जाने का कोई भी स्पष्टीकरण नहीं है। ट्रक चालक विवेक दीपक ढाबा के पास पेशाव कर रहा था तभी कुछ पुलिस वाले आये और उसका नाम पता पूँछने लगे, कुछ दूर ले जाकर चालक विवेक से बात करने लगे और कहा कि तुम अपना टूक कहाँ लेकर जा रहे हो। चालक द्वारा बताया गया कि वह अपना टूक एन०सी०आर० को तरफ

लेकर जा रहा है। कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा अवैध धन वसूली की मांग करने लगे। चालक ने वसूली देने के लिये मना किया तो पुलिस द्वारा कहा गया कि तुम्हें किसी अपराध में जेल भेज देंगे। इसी बात को लेकर पुलिस द्वारा चालक के बीच कहासुनी हो गयी और पुलिस द्वारा झूठा अपराध पंजीकृत करा दिया। प्रार्थी/अभियुक्त अत्यधिक गरीब होने की वजह से ट्रक चालक का काम करता है। चालक द्वारा किसी तरह का कोई भी अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी अभियुक्त का कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है, ना ही किसी अपराध में सजायाफ्ता है। प्रार्थी/अभि० का कोई भी स्वतंत्र गवाह व जनता का कोई जनसाक्षी नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 22.01.2026 से जिला कारागार एटा में निरूद्ध है। प्रार्थी/अभि0 अपनी उचित जमानत देने को तैयार है तथा दौरान मुकदमा उचित जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। अतः जमानत पर रिहा करने की याचना की गयी है।

4. मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

5. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा कथन किया गया कि अभियुक्त को झूठा फँसाया गया है उसके कब्जे से कोई बरामदगी नहीं हुयी है। पुलिस द्वारा झूठी व फर्जी बरामदगी दिखाई गयी है। प्रार्थी के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं है। प्रार्थी अभियुक्त का कोई अपराधिक इतिहास भी नहीं है और जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की।

6. विशेष लोक अभियोजक (एन०डी०पी०एस०एक्ट), एटा द्वारा जमानत आवेदन पत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त को अन्य अभियुक्त के साथ गिरफ्तार किया गया था तथा मौके से 77 किलो 400 ग्राम गाँजा के बरामद हुया है, जिसको प्लांट नहीं किया जा सकता। गिरफतार शुदा अभियुक्त द्वारा बरामद गांजा बिहार से तस्करी कर एन०सी०आर० क्षेत्र में सप्लाइ कर अवैध लाभ कमाना जाना था। उक्त कृत्य से समाज में नशाखोरी की प्रवृत्ति को बढ़ाया मिल रहा है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

7. पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात है कि दिनांक 22.01.2026 को प्रार्थी अभियुक्त को अन्य अभियुक्त के साथ गिरफ्तार किया गया था तथा मौके से 77 किलो 400 ग्राम गाँजा मय ट्रक संख्या-यू०पी० 84 ए टी 4516 बरामद हुआ है।

एन०डी०पी०एस० अधिनियम के साथ संलग्न सूची में प्रवृष्ठि संख्या 55 पर गाँजा की वाणिज्यिक मात्रा 20 किलोग्राम वर्णित है प्रार्थी अभियुक्त से बरारमद 77 किलो 400 ग्राम गाँजा भारी मात्रा में है, मादक पदार्थ गाँजा की मात्रा वाणिज्यिक श्रेणी मे आती है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध समाज के लिये काफी घातक है, जो समाज के युवा वर्ग को दुष्प्रभावित कर रहा है। जहाँ तक धारा 50 एन०डी०पी०एस० एक्ट के आज्ञापक प्रावधानों के पालन न किये जाने का प्रश्न है यह विचारण का विषय है। अतः उपरोक्त विवेचन तथा तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत तथा अपराध की प्रकृति व गम्भीरता को मद्देनजर रखते हुये आवेदक/अभियुक्त को इस स्तर पर

जमानत प्रदान किये जाने का कोई युक्ति-युक्ति आधार प्रतीत नहीं हो रहा है। अत्एव अपराध की प्रकृति एवम् गम्भीरता को ध्यान में रखते हुये आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त विवेक की ओर से जमानत आवेदन-पत्र संख्या-353/2026, मु०अ०सं०-09/2026, अन्तर्गत धारा- 8/20/29/60 एन०डी०पी०एस० एक्ट, थाना- मलावन, जिला एटा की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र तदनुसार **निरस्त** किया जाता है।

दिनांक: 06.03.2026

(मनीषा)
विशेष न्यायाधीश (एन०डी०पी०एस०एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-01,
एटा।